

मुन्तकिली प्रकरण सं० 107/2015 रामलाल पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासी  
बींझवायलाप तहसील पदमपुर बनाम 1-महेन्द्रसिंह पुत्र स्व० हजूर सिंह जाति  
तरखान निवासी श्रीगंगानगर 2-स्टेट जरिये उपखण्ड अधिकारी पदमपुर

31-3-2016

प्रार्थी के अभिभाषक श्री राजवीर सिंह उपस्थित है। उन्हें सुना गया  
एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।



प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रा० पत्र उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के  
न्यायालय में लंबित रिमाण्डेड आवंटन पत्रावली अनवानी हजूर सिंह बनाम  
सरकार आदि में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना को लेकर पेश किया है।  
चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है  
और वे कार्यमुक्त हो गये हैं। इसलिए यह मुन्तकिली प्रा० पत्र निष्प्रभावी अर्थात्  
फलहीन हो गया है। अतः खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार प्रार्थी रामलाल द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिली  
प्रा० पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर  
को भेजी जावें। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

८९९  
६-५-१६

यह आदेश आज दिनांक 31.03.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर  
खुले न्यायलय में सुनाया गया।

(पी.सी.किशन)

जिला कलेक्टर  
श्रीगंगानगर